in India are Diogyon of General Remedies, Bombay and Amenorone of M/s Roussel, Bombay, Secrodyl of M/s Glaxo, Bombay etc. These products were marketted earlier for diagnosis of pregnancy. However, these preparations are no longer being indicated for diagnosis of early pregnancy and are indicated for the treatment of Secondary Amenorrhoea only. The following WARNING NOTE is included in the package insert or any other promotional literature circulated on these drugs:—

"There is some evidence to show that harmonal preparations when used during pregnancy may lead to foetal abnormalities and as such these should not be used during pregnancy or for pregnancy diagnosis unless a decision has been taken to terminate the pregnancy after its confirmation'.

(b) Yes.

(c) In reply to Unstarred Question No. 9571 answered in the Lok Sabha on 3-5-79, it was stated *inter alia* as follows:—

"In view of the reported misuse of these harmonal products for the purposes of abortion, it is proposed to re-examine the question of continued marketing of these preparations in consultation with medical experts in the field".

(d) The Indian Council of Medical Research felt that these drugs are useful in certain gynocological conditions and as such if these drugs are totally banned for sale, the patients and the practitioners will be deprived of their legitimate use in conditions other than for carly pregnancy test. The Fedration of Obstetrics and Gynaecological Societies of India which was consulted have also not recommended the banning of these preparations. At present, harmonal products are not permitted to be indicated for diagnosis of pregnancy and these products are indicated for the treatment of secondary amenorrhoea only. However, the views of the Indian Council of Medical Research have again been sought on the question whether these harmonal products should be totally banned in this country, even for the indication secondary amenorrhoea.

पुरातत्व विभाग के अधीन मन्दिर एवं स्मारक

921. **श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पुरातत्व विभाग द्वारा कितने मन्दिरों एवं स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है; और

(ख) उन स्मारकों/स्थानों के नाम एवं पते क्या हैं जहां पर प्रवेश टिकट के द्वारा होता है और सरकार को उससे कितनी वार्षिक आय होती है?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अधिसूचना की प्रविष्टियों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों की की संख्या 3479 है।

(ख) जिन सस्मारकों में टिकट के आधार पर प्रवेश की अनुमति है, स्थानों सहित उनकी एक सूची संलग्न है।

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान अर्जित राजस्व क्रमश: 33,72,800 रुपये, 35,14,600 रुपये और 34,92.000 रुपये था

विवरण

उन स्मारकों की सूची जहां टिकट के आधार पर प्रवेश की अनुमति है

क्रम सं०	राज्य	जिला	परिक्षेत्र	स्मारकों के नाम
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद शहर	चार मीनार (दूसरी मंजिल तथा उस से ऊपर)
2	बिहार	पटना	कुमराहर	मौर्य कालीन प्रासाद स्थल
3	बिहार	पटना	नालन्दा	अर्जित क्षेत्र में घिरी हुई सभी स्तूप संरचनाए तथा इमारतें
4	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली जेल (शाहजहांबाद)	दिल्ली का किला, पुरातत्वीय क्षेत्र
5	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली जेल	हुमायूं का मकबरा इसका चबूतरा, उद्यान, चहार दीवारी तथा प्रवेशद्वार
6	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली जेल	चहार दीवारी के साथ सफदरजंग मकबरा, प्रवेशद्वार उद्यान तथा उद्यान के पूर्व में स्थित मस्जिद
7	दिल्ली	दिल्ली	महरौली जेल	कुतुब मीनार
8	मध्य प्रदेश	छतरपुर	खजुराहो	पश्चिमी मंदिर-समूह (मातंगेश्वर मंदिर को छोड़कर)
9	मध्य प्रदेश	रायसेन	सांची	बौद्ध स्मारक
10	तमिलनाडू	दक्षिण अर्काट	गिंगी	गढ़ी, जिस में कृष्णगिरि तथा राजगिरि पहाड़ियों पर बने स्मारक भी शामिल हैं
11	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	अजन्ता	अजन्ता की गुफाएं

1	2	3	4	5
12.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	रबिया दुर्रानी का मकबरा (बीबी का मकबरा)
13.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	एलोरा	एलोरा की गुफाएं (गुफा सं० 16)
14.	महाराष्ट्र	बम्बई	कन्हेरी	बौद्ध गुफाएं
15.	महाराष्ट्र	कोलाबा	घारपुरी	एलीफेंटा गुफाएं (गुफा सं० 1 से 5)
16.	महाराष्ट्र	पूना	कार्ला	गुफा मंदिर तथा अभिलेख
17.	कर्नाटक	बीजापुर	बीजापुर	गोल गुंबद (रौंजा)
18.	कर्नाटक	मण्ड्या	श्रीरंगपटनम्	दरिया दौलत बाग महल
19.	कर्नाटक	मैसूर	सोमनाथपुर	केशव मंदिर
20.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौढ़	चित्तौड़गढ़ विजय स्तम्भ
21.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	आगरा किला, पुरातत्वीय क्षेत्र
22.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	एत्मादुद्दौला का मकबरा
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा	फतहपुर सीकरी	फतहपुर सीकरी का स्मारक समूह
24.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	ताज का स्मारक समूह
25.	उत्तर प्रदेश	आगरा	सिकन्दरा	अकबर का मकबरा
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ	माडल रूम रेजिडेंसी

कोटा-छबड़ा रेलवे लाइन के स्टेशनों पर माल की बुकिंग का निलंबन

922. **श्री चतुर्भुज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-छबड़ा रेलवे लाइन पर स्थित रेलवे स्टेशनों ने रेलवे को प्रभागीय मैनेजर, कोटा राजस्थान के आदेशों के अनुसार कोटा और छबड़ा स्टेशनों के बीच के स्टेशनों के लिए माल की बकिंग निलम्बित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापारियों ने इस संबंध में उनको अभ्यावेदन दिए हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में जांच की जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।